न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-185/ 2017

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजक।

बनाम

रामखेलावन पुत्र दीनबन्धु

निवासी ग्राम वारिस अली का पुरवा, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्त।

अपराध संख्या-122/ 2016
धारा-60 आबकारी अधिनियम,
थाना-महमूदाबाद, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पुलिस थाना महमूदाबाद द्वारा अभियुक्त **रामखेलावन** के विरुद्ध अपराध संख्या-122/ 2016, धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी उ०नि० राज बहादुर सरोज द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी गयी कि, "दिनांक-26.03.2016 को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि साहब एक व्यक्ति वारिस अली पुरवा की तरफ कच्ची शराब लेकर आ रहा है। मौके पर पहुँचा तो वहां एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। मुखबिर इशारा करके चला गया। ग्राम वारिस अली पुलिया के पास दौड़कर उसे पकड लिया गया तथा नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम रामखेलावन पुत्र दीनबन्धु बताया। उसके दाहिने हांथ में एक अदद बड़ी प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुयी।"

3. अभियुक्त **रामखेलावन** की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमें के निस्तारण की याचना की गयी है।

4. अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।

5. अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उनके विरुद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त उपर्युक्त जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त को धारा-60 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.06 17:21:22 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय के समक्ष पुनः पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। घर का अकेला कमाने वाला है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वह अपने घर का अकेला कमाने वाला सदस्य है एवं वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है और उसे न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त वाद न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 से लम्बित है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा गरीब मजदूरी पेशा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **रामखेलावन** को अपराध संख्या-122/2016, धारा-60 आबकारी अधिनियम, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-60 आबकारी अधिनियम में रु० 4000/-(चार हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उसे 20 दिन के साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-06.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-06.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

UPSI180002162017